न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2023 (बांसवाड़ा डिकी)

1. मणिया उर्फ मणिलाल पिता शंकर, जाति भील, निवासी ग्राम मोर चांदु का वेला, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. शान्ति पत्नी गौतम, जाति भील, निवासी ग्राम मोर चांदु का वेला, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. कालु उर्फ कालुलाल पिता गौतम, जाति भील, निवासी ग्राम मोर चांदु का वेला, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. महेन्द्र पिता गौतम, जाति भील, निवासी ग्राम मोर चांदु का वेला, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. हकजी उर्फ हगजी पिता हरजी, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. जीवा पिता धारजी, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. प्रकाश पिता धारजी, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. रमण पिता धारजी (मृतक) के विधिक वारिस :–

4/1. जिग्नेश पिता स्वर्गीय रमण, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/2. महिपाल पिता स्वर्गीय रमण, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/3. श्रीमती शान्ता देवी पत्नी स्वर्गीय रमण, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. हमीरा पिता पूंजिया (मृतक) के विधिक वारिस :–

5/1. जीतम पिता स्वर्गीय हमीरा, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. हेरजी पिता पूंजिया, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:19 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

7. नाथू पिता पूंजिया, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. वेस्ता पिता कचरिया, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. मनु पिता कचरिया, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. नगजी पिता केवजी, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. कालिया पिता केवजी, जाति भील, निवासी ग्राम मोर, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
12. भूमिधारी तहसीलदार, गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ –1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी घाटोल दि0
08.02.2023 प्रकरण संख्या 23/2020

----::----

उपस्थित :– 1– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पो.सं. 12

----::----

निर्णय **दिनांक 11–11–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 मणिया को दिनांक 01–05–1989 को खसरा नंबर 10 में रकबा 6 बीघा व वादी संख्या 2 शान्ति के पिता कालू को उक्त दिनांक को ही उक्त आराजी में से 6 बीघा भूमि पूर्व कब्जे के आधार पर आवंटित की गयी। वादीगण द्वारा आवंटन राशि जमा कराकर वर्ष 2001 में पट्टा प्राप्त किया गया एवं जमाबन्दी संवत् 2047 से 2050 में उक्त भूमि [illegible] के खातेदारी हक से दर्ज हुई तथा वर्तमान में भूमि [illegible] खातेदारी में दर्ज होकर कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। [illegible] को पुरानी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:19 IST
Reason: SelfAttested

559/10 से 6 बीघा तथा वादी संख्या 2 के पति कालू को 558/10 में से 10 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी, जिसके वर्तमान नंबर 655 रकबा 1.81 हैक्टर है। खसरा नंबर 10 का रकबा बड़ा होने से आवंटन के समय नक्शे में पैमूद नहीं किया गया। प्रतिवादीगण की भूमि पगडण्डी रास्ता मोर से गनोडा जाता है, जहां प्रतिवादीगण आवंटन के समय से काबिज हैं, किन्तु उनके पुराने नंबर 464/10 की पैमूदगी नहीं होने से वादीगण के नये नंबर 655 की पैमूदगी प्रतिवादीगण की भूमि पर कर दी गयी, जो विधि विरूद्ध है एवं प्रतिवादी के पुराने नंबर 464/10 के समानान्तर नंबर 423, 424, 425, 427, 428, 429 की पैमूदगी वादीगण जो कि दुकवाड़ा से मोटागांव जाने वाली सड़क के पूर्व दिशा में काबिज है, के स्थान पर कर दी गयी है, जो अवैध है। अतः खसरा नंबर 655 रकबा 1.81 हैक्टर की पैमूदगी वर्तमान नक्शा ट्रेस में दुकवाड़ा मोटागांव के रोड़ के दोनों ओर यानि पूर्व व पश्चिम दिशा में खसरा नंबर 423, 424, 425, 427, 428, 429 के स्थान पर की जाने की डिक्री एवं वादीगण के खसरा नंबर 655 को मोर–गनोडा पगडंडी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के सर्वे नंबर 423, 424, 425, 427, 428, 429 की पैमूदगी किये जान की डिक्री प्रदान की जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–04–2014 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर वादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जो अपील न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः प्रकरण दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08–02–2023 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता श्री पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:19 IST
Reason: SelfAttested

उप–प्रशासक अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

4. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मात्र यह उल्लेख किया है कि रेस्पोडेन्ट का पुराना खसरा नंबर 464/10 नहीं है व उसके खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है एवं न ही उसे सुना गया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा आराजी नंबर 464/10 से बने नये आराजी नंबर 423, 424, 425, 427, 428, 429 के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 को पक्षकार बनाया गया है। अपीलान्ट संख्या 1 के पुराने खसरा नंबर 559/10 रकबा 6 बीघा व अपीलान्ट संख्या 2 से 4 का 558/10 रकबा 6 बीघा, वर्तमान आराजी नंबर 655 रकबा 1.81 हैक्टर है, जो राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होकर अपीलान्टगण कई वर्षों से काबिज चले आ रहे हैं। पूर्व में न तो अपीलान्टगण की पैमूदगी हुीई एवं न ही रेस्पोडेन्टगण की। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण की पैमूदगी वर्तमान नक्शा ट्रेस में की जानी आवश्यक है एवं सेटलमेन्ट की गलती से जो इन्द्राज हुआ उसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आराजी नंबर 10 में से 6 बीघा भूमि वादी संख्या 1 मणिया को तथा इसी आराजी में से 6 बीघा भूमि वादी संख्या 2 से 4 के पिता/पति गौतम को दिनांक 01–05–1989 को आवंटित हुई है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 156 व 157 स्वीकृत होकर उक्त भूमि वादीगण के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज हुई है, जो प्रदर्श 4 के अवलोकन से स्पष्ट है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 अनुसार साबिक आराजी नंबर 559/10 से हाल आराजी नंबर 655 बन[illegible] होती है तथा जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:19 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पूर्व पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

655 रकबा 1.8100 हैक्टर में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 से 6 के पिता/पति गौतम का 1/2 हिस्सा बतौर खातेदार अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बिना साक्ष्यों का विधिवत अवलोकन किये अपने निर्णय में मात्र इतना अंकित किया है कि "वाद पत्र के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य दस्तावेजों, राजस्व अपील अधिकारी के आदेश व निर्देश पर पुनरावलोकन, मनन चिन्तन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त आराजियात जो वादीगणों द्वारा अपने कब्जे में बतायी गयी है परन्तु राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त समस्त आराजियात प्रतिवादीगणों के नाम होने से प्रतिवादी संख्या 1 का अपने हिस्से 1/4 भाग बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मोटागांव में रहन दर्ज है। बैंक में रहन दर्ज होने से वादग्रस्त आराजियात को वादीगण के नाम खातेदारी हक नहीं किये जा सकते। वाद खारिज योग्य है।" अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 08–02–2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन के दृष्टिगत पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–12–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–11–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

11.11.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:19 IST
Reason: SelfAttested